100

संख्या -/- /XXIV(6)/2013/32(4)12

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक,
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांकः 16 जुलाई–2013

विषय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के मुख्य आय–व्ययक के आयोजनागत् पक्ष में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 50/106/एफसी–डीयू/2013 दिनांक 31,मई 2013 एवं पत्र संख्या : 70/106/एफसी–डीयू/2013 दिनांक 19,जून–2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि आलोच्य वित्तीय वर्ष 2013–14 के मुख्य आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 आयोजनागत् पक्ष के अन्तर्गत मानक मद संख्या 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 250 लाख में से दून विश्वविद्यालय, देहरादून के सामान्य व्ययों यथा– कार्यालय व्यय, विद्युत, लेखन–सामग्री, टेलीफोन, पैट्रोल, विज्ञापन, अतिथि व्यय, कम्प्यूटर क्रय आदि भुगतान हेतु **₹ 01,00,00,000 (₹ एक करोड़ मात्र)** की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण यथा आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किश्तों में किया जायेगा । इस अनुदान के बिल पर उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय देहरादून द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगें, तथा व्यय एवं वित्तीय भौतिक प्रगति की मासिक सूचना माह के प्रथम सप्ताह में शासन के वित्त विभाग एवं इस अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(2) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत् वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो ।

(3) **स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों हेतु किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।** अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा ।

(4) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, डी0जी0 एस0एण्ड डी0 की दर तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा, क्रय की गयी सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर में किया जायेगा जिसे सम्बन्धित् अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित भी किया जाना होगा। वित्त विभाग द्वारा निर्गत प्रॉक्यूरमेंट नियमावली में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाना होगा।

(5) स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन का उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा ।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के लिए शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा ।

(7) विगत् वित्तीय वर्ष में एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में अपने समस्त स्रोतों (शुल्क सहित) से प्राप्त हुई एवं प्राप्त होने वाली समस्त अनुमानित आय का मदवार एवं माहवार विवरण एवं व्यय आंकलन चालू वित्तीय वर्ष मे योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि का प्रस्ताव करते समय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अवशेष धनराशि की स्वीकृति उसी दशा में की जाएगी, जब प्रस्ताव के साथ उपरोक्तानुसार वर्णित सूचना उपलब्ध करायी जाएगी।

(8) सुसंगत मानक मद में नैट के माध्यम से बजट आंबटन विवरण पत्र की प्रति संलग्न है।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु लेखानुदान के अन्तर्गत आय–व्ययक के अनुदान संख्याः 11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–आयोजनागत्–05–दून विश्वविद्यालय–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – 46(पी)/XXVII(3)/2013-14 दिनांकः 10 जुलाई–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 32(4)12/XXIV(6)/2013 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. निदेशक, उच्च शिक्षा हल्द्वानी ।
3. उप निदेशक, उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय, देहरादून ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
6. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन ।
7. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनु सचिव ।